

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : **Three Hours**

अधिकतम अंक : **250**

Maximum Marks : **250**

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** question from each section.

The number of marks carried by a question /part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A
SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) उद्देशिका में वर्णित उद्देश्य संविधान के उस मूलभूत ढाँचे को समाहित करते हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। अग्रणी निर्णित वादों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

The goals specified in the Preamble contain the basic structure of the Constitution, which cannot be amended under Article 368 of the Constitution. Analyse this statement in the light of leading decided cases.

10

- (b) न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायिक शक्ति के बीच विभेद कीजिए। संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत उद्भूत वादों के संदर्भ में न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि की व्याख्या कीजिए।

Make a distinction between judicial review and judicial power. Explain the scope of judicial review with reference to the cases arising under the Xth Schedule of the Constitution.

10

- (c) भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोपरि अधिकार के सिद्धांत की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। निर्णयज विधि की सहायता से इस सिद्धांत की सीमाओं की व्याख्या कीजिए।

Analyse the relevance of doctrine of eminent domain under the Constitution of India. Explain the limitations of this doctrine with the help of case law.

10

- (d) भारतीय संविधान में उल्लिखित मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध कीजिए। संवैधानिक (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किए जाने का तर्काधार क्या है?

Enumerate the list of Fundamental Duties as provided in the Constitution of India. What is the rationale of incorporation of Fundamental Duties under the Indian Constitution through the Constitutional (Forty-second Amendment) Act, 1976?

10

- (e) प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

What are the various modes of judicial control of delegated legislation?

10

- Q2.** (a) (i) लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल एवं लोकायुक्त की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। आपके विचार में लोकपाल कार्यालय अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्रों से बेहतर कैसे है ?
- (ii) राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। परीक्षण कीजिए कि ऐसी शक्तियों पर न्यायिक पुनर्विलोकन का कहाँ तक प्रयोग किया जा सकता है।
- (i) Discuss the powers and functions of the Lokpal and the Lokayukta under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. How do you think the office of Lokpal is better than other anti-corruption mechanisms ?
- (ii) Explain the Pardoning Powers of the President. Examine how far the Judicial Review can be exercised over such powers. 20
- (b) “नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं, यह निर्धारण करने के लिए अर्ध-न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के बीच का विभेद अब एक अनन्य मानदंड नहीं रहा।”
 इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
 “Distinction between quasi-judicial and administrative functions is no longer the exclusive criteria for deciding whether or not the rules of Natural justice apply.”
 Critically examine this statement. 15
- (c) उदाहरणों की सहायता से सहयोगात्मक संघवाद एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की विवेचना एवं विभेद कीजिए।
 With the help of illustrations, discuss and differentiate, co-operative federalism and competitive federalism. 15
- Q3.** (a) भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदत्त संरक्षात्मक विभेद का परीक्षण कीजिए।
 निर्णित वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए।
 Examine the scope of protective discrimination offered to persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes under Articles 15 and 16 of the Constitution of India.
 Explain with the help of decided cases. 20
- (b) “संघ एवं राज्य के बीच बेहतर सम्बन्धों हेतु भारतीय संविधान का एक संशोधन अभी बाकी है।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए एवं इससे सम्बन्धित संविधान के विनिर्दिष्ट उपबंधों में संशोधन की यदि कोई आवश्यकता हो, तो अपनी अनुशंसाओं को सिद्ध कीजिए।
 “An amendment of the Constitution of India for better Union and State relations is due.” Comment on this statement and substantiate your recommendations for amendment of specific provisions of the Constitution, if any, on this matter. 15

- (c) “राज्यपाल का कार्यालय सुई जनरेस (sui generis) है । राज्यपाल हमारे तंत्र के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के विस्तार में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य नहीं करते । यद्यपि सीमित एवं संवैधानिक सीमाओं के अधीनस्थ, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं ।” सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए ।

“Governor’s office is sui generis. The Governor in our system does not function as constitutional head for the whole gamut of his responsibilities. There is an important area, though limited and subject to constitutional constraints, within which he acts in the exercise of his discretion.” Examine this statement in the light of Sarkaria Commission Report.

15

- Q4.** (a) (i) क्या स्थानीय निकाय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने में स्वायत्तता का उपयोग करते हैं ? संबद्ध संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।
- (ii) संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए ।
- (i) Do local bodies enjoy autonomy in performing their role in the field of economic development and social justice ? Explain in the light of relevant constitutional provisions.
- (ii) Describe the powers and functions of the Union Public Service Commission.

20

- (b) “विधायिका द्वारा किए जाने वाले उच्च एवं बहुआयामी कार्यों के संपादन हेतु संसदीय विशेषाधिकार अत्यंत आवश्यक है ।” विवेचना कीजिए ।

वर्तमान प्रस्थिति में आप क्या सुधार सुझाना चाहेंगे ?

“Parliamentary privilege is an essential incident to the high and multifarious functions which the legislature performs.” Discuss.

What reforms will you suggest, if any, in the existing position ?

15

- (c) “यद्यपि भारत में विधि निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, यह न्याय के मूल्य पर नहीं हो सकती है ।”

भारत में “उपचारात्मक रिट याचिका” के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । प्रासंगिक निर्णयज विधि का उल्लेख कीजिए ।

“While certainly law is important in India, it can’t be at the cost of justice.”

Critically examine this statement in the context of “Curative Writ Petition” in India. Refer to relevant case law.

15

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को पूरा करने एवं उसे प्रवर्तन में लाने तक कौन-से विभिन्न चरण होते हैं ?

What are the various steps involved for concluding an international treaty and bringing it into force ?

10

- (b) विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश "X" उत्पाद "A" पर 7 प्रतिशत प्रशुल्क कम करने के लिए गैर-सदस्य देश "Y" के साथ सहमत होता है। क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश "X" से "A" के सदृश उत्पाद पर उसी समान प्रशुल्क की माँग कर सकते हैं ? विवाद निपटान निकायों ने गैट (GATT) के अनुच्छेद I-1 में "सदृश उत्पाद" को किस प्रकार परिभाषित किया है ?

A WTO member country "X" agrees with a non-member country "Y" to reduce the tariff on product "A" to 7 percent. Can the WTO members claim the same tariff level on like product "A" from country "X" ? How have the dispute settlement bodies defined the "like product" in Article I-1 of GATT ?

10

- (c) संयुक्त राष्ट्र को प्रशासित करने वाले उद्देश्यों एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली हेतु कौन-से सुधार, यदि कोई हों, आप सुझाएँ ?

Discuss the purposes and principles governing United Nations. What reforms, if any, do you suggest for the UN system ?

10

- (d) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय विवादास्पद अधिकारिता के कौन-से मानदंड हैं ?

What are the parameters of contentious jurisdiction exercisable by the International Court of Justice ?

10

- (e) मानव अधिकार संधियों के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानव की प्रस्थिति की विवेचना कीजिए।

Discuss the status of individual in International Law especially with reference to human rights treaties.

10

- Q6.** (a) संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 67/19 द्वारा फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में ग़ैर-सदस्यी प्रेक्षक राज्य का दर्ज़ा दिए जाने का निर्णय करती है ।
 फ़िलिस्तीन के राज्य का दर्ज़ा निर्धारण करने में इस संकल्प के महत्त्व की व्याख्या कीजिए ।
 मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों के आलोक में अपने तर्कों का विश्लेषण कीजिए ।
 In resolution 67/19, the United Nations General Assembly decides to accord to Palestine, a non-member observer state status in the United Nations.
 Explain the importance of the resolution while determining the Statehood of Palestine.
 Analyse your arguments in the light of various theories of recognition. 20
- (b) “प्रत्यर्पण जहाँ प्रारम्भ होता है वहीं शरण समाप्त हो जाती है ।” टिप्पणी कीजिए । प्रादेशिक शरण एवं प्रादेशिकेतर शरण में विभेद कीजिए ।
 “Asylum ends where extradition begins.” Comment. Distinguish between territorial asylum and extra-territorial asylum. 15
- (c) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल एक सकारात्मक नैतिकता है ? अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति एवं परिधि की विवेचना कीजिए ।
 Do you agree with the view that International law is merely a positive morality ? Discuss the nature and scope of International law. 15
- Q7.** (a) (i) राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने संबंधी राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं की व्याख्या कीजिए ।
 (ii) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।
 (i) Explain the State practices relating to observing International law within the Municipal law.
 (ii) Explain the role of arbitration for peaceful settlement of international disputes. 20
- (b) भूभागीय समुद्र एवं संलग्न क्षेत्र में तटीय राज्यों तथा अन्य राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की विवेचना कीजिए ।
 Discuss the rights and obligations of Coastal States and other States in the territorial waters and contiguous zone. 15
- (c) गैट (GATT) एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत क्षेपण-रोधी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए । “क्षेपण-रोधी” एवं “वस्तु क्षति” के निर्धारण हेतु क्या पद्धतियाँ बताई गई हैं ?
 Explain in detail the anti-dumping provisions under GATT and WTO. What are the methods laid down for determination of “anti-dumping” and “material injury” ? 15

- Q8.** (a) अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (IAC) एवं गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC) से क्रमशः संबंधित विधिक शासन-प्रणालियों की समझ व परिधि क्या हैं, एवं इन दोनों शासन-प्रणालियों के प्रवर्तन के मूलाधार क्या हैं ?

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि का अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संकट पर पड़ने वाले प्रभाव को उदाहरित कीजिए ।

What is the understanding and scope of legal regimes pertaining to International Armed Conflict (IAC) and Non-International Armed Conflict (NIAC) respectively, and what are the thresholds of application of these two regimes ?

Illustrate the impact of International Humanitarian Law on the international refugee crisis.

20

- (b) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि के मुख्य स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए । “मृदु विधि” एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय विधि के मूल-तत्त्वों के उद्भव की विशेषतः व्याख्या और विवेचना कीजिए तथा यह बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के इस क्षेत्र के विकास को इसने कैसे प्रभावित किया है ।

Evaluate the main sources of International Environmental Law. Explain and discuss in particular the emergence of “Soft Law” and principles of International Environmental Law and how this has influenced the development of this area of International Law.

15

- (c) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद
- (ii) हस्तक्षेप के आधार
- (iii) परमाणु अप्रसार संधि

Write notes on the following :

15

- (i) International Terrorism
- (ii) Grounds of Intervention
- (iii) Nuclear Non-Proliferation Treaty

